

व्यावसायिक अभ्यास में चिकित्सकीय नैतिकता के नैतिक पहलू

चिकित्सकीय नैतिकता स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों के बीच विश्वास की नींव होती है।

हालाँकि, एबवी इंडिया विवाद जैसी समकालीन घटनाएँ नैतिक समस्याओं को उजागर करती हैं, जिसमें कंपनी पर चिकित्सा सम्मेलनों के बहाने 30 डॉक्टरों को पेरिस और मोनाको ले जाने के लिये 1.91 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का आरोप है।

फारमास्यूटिकलस विभाग (DoP) ने इसे फारमास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिये यूनिफॉर्म कोड (UCPMP) का उल्लंघन माना, जिससे ऐसी प्रथाओं के नैतिक नहितार्थों पर सवाल उठे। यह मामला पेशेवर नैतिकता, कॉर्पोरेट हितों और रोगी कल्याण के बीच चर्चाओं को उजागर करता है, जो स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिये व्यापक नहितार्थों के बारे में अंतरदृष्टि प्रदान करता है।

चिकित्सकीय नैतिकता में नैतिक चर्चाएँ क्या हैं?

- **नैदानिक नरिणय से समझौता:** एबवी विवाद इस बात को रेखांकित करता है कि किस प्रकार दवा कंपनियों का अनुचित प्रभाव डॉक्टरों के नैदानिक नरिणयों को प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक आतथिय या उपहार स्वीकार करने से हितों का टकराव हो सकता है, जिसके कारण रोगी कल्याण पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देते हुए पक्षपातपूर्ण उपचार सफारिशें की जा सकती हैं।
- **जनता के भरोसे का ह्रास:** एबवी इंडिया जैसे मामले चिकित्सा पेशेवरों और नगिमें के बीच अनैतिक सहयोग को उजागर करते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में रोगियों का भरोसा खत्म होता है। नैतिकता और परोपकारिता से प्रेरित सेवा के रूप में स्वास्थ्य सेवा की सार्वजनिक धारणा से समझौता किया जाता है, जिससे पूरे चिकित्सा समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है।
- **व्यावसायिक सीमाओं का शोषण: सतत चिकित्सा शिक्षा (CME)** के नाम पर भव्य यात्राओं का प्रलोभन देकर, डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच व्यावसायिक संबंधों की सीमाओं का शोषण किया जाता है। इस तरह की नीतियाँ नैतिक सीमाओं को धुंधला कर देती हैं, क्योंकि सीएमई का उद्देश्य प्रचारात्मक रणनीति के बजाय वास्तविक ज्ञान साझा करना होना चाहिये।
- **वनियामक अखंडता को कमजोर करना:** उत्तरदायित्व से बचने के लिये एबवी का समय संबंधी वसिगतियों पर विश्वास दर्शाता है कि किस तरह कानूनी कमजोरियों का लाभ उठाया जाता है। यह UCPMP जैसे कानूनों की भावना को कमजोर करता है, जिनमें दवा उद्योग में नैतिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदारियाँ किये गये हैं। इस तरह के कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और उद्योग की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे अंततः लोग नियामक प्रणालियों पर संदेह करने लगते हैं तथा नैतिकता की कमी महसूस करते हैं।
- **स्वास्थ्य समानता पर प्रभाव:** व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के बजाय प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों को प्राथमिकता देकर, कंपनियाँ स्वास्थ्य समानता में बढ़ती असमानता में योगदान देती हैं।
- **भव्य आतथिय पर खर्च किये गए 1.91 करोड़ रुपए का उपयोग वंचित रोगियों को लाभ पहुँचाने वाली पहलों के लिये किया जा सकता था**, जो कॉर्पोरेट लाभ और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच नैतिक चर्चाओं को उजागर करता है।

चिकित्सकीय नैतिकता पर दार्शनिक दृष्टिकोण क्या हैं?

- **हपिपोकरेटिक शपथ:** हपिपोकरेटिक शपथ चिकित्सकीय नैतिकता के मूलभूत दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को मूल रूप देती है, जो स्वास्थ्य सेवा में परोपकारिता, अहतिकारीता और व्यावसायिक अखंडता के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है।
 - यह शपथ एक नैतिक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती है, जो चिकित्सकों को चिकित्सा पेशे की प्रतिष्ठित परंपराओं और नैतिक मानकों को बनाए रखने में मार्गदर्शन करती है।
- **उपयोगितावाद और अधिकतम भलाई:** उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, एबवी की कथित आतथिय यात्राओं जैसी प्रथाएँ सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने में विफल रहती हैं। कुछ डॉक्टरों के लिये भव्य यात्राओं पर खर्च किये गए संसाधन इसके बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं, जिससे बड़ी आबादी को लाभ मिल सकता है और अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम भलाई के सिद्धांत का पालन किया जा सकता है।
- **मानदंडक नैतिकता और कर्तव्य-आधारित नैतिकता:** मानदंडक नैतिकता नैतिक कर्तव्यों और सिद्धांतों के पालन पर ज़ोर देती है। एबवी केस में चिकित्सा पेशेवरों और नगिमें के मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन को उजागर किया गया है, जिसमें ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देना शामिल है, भले ही इसमें शामिल पक्षों द्वारा दिये गए संभावित लाभ या औचित्य कुछ भी हों।
- **सदाचार नैतिकता और व्यावसायिक ईमानदारी:** सदाचार नैतिकता व्यक्तियों के चरित्र और गुणों पर केंद्रित है। एबवी जैसे मामलों में डॉक्टरों और दवा कंपनियों दोनों की नैतिक ईमानदारी जाँच के दायरे में आती है, जहाँ कार्य ईमानदारी, जवाबदेही तथा परोपकारिता जैसे पेशेवर गुणों की कमी को दर्शाते हैं।

- **रॉल्स का न्याय का सदिधांत:** जॉन रॉल्स के सदिधांतों के अनुसार, नैतिक कार्यों से समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों की रक्षा होनी चाहिये। एबवी के कथति कार्य इस परीक्षण में वफिल रहे क्योंकि संसाधनों को स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधति करने या वंचति रोगियों का समर्थन करने के बजाय विशेषाधिकार प्राप्त पेशवरों की ओर नरिदेशति कथिा गया था।
- **कांटयिन सार्वभौमकथिता:** सार्वभौमकथिता के बारे में कांट का दर्शन बताता है कथिा एबवी मामले में की गई कार्रवाइयों को स्वास्थ्य सेवा प्रणालथियों में वशिवस को खत्म कथिे बना सार्वभौमकथि रूप से अपनाया जा सकता है। यदसिभी नगिम ऐसी प्रथाओं में लगे रहते हैं, त्मेस्वास्थ्य सेवा पेशा अपना नैतिक आधार खो देगा, जससे ऐसी कार्रवाइयों नैतिक रूप से अक्षम्य हो जाएंगी।

चकथितसकीय नैतिकथिता को मूल्यवान बनाने के लथिे कथ्या सुझाव दथिे जाने चाहथिे?

- **भारत में सनशाइन एक्ट लागू करना:** भारत को एक व्यापक प्रकटीकरण फ्रेमवर्क शुरू करना चाहथिे, जसमें दवा कंपनथियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सभी वतथितथीय लेन-देन को सार्वजनकथि रूप से प्रकाशति करना अनवथार्य कथिा जाए। यह पारदर्शथिता अनैतिकथि प्रथाओं को रोकेंगी और रोगथियों को अपनी देखभाल के संबंध में उचथि नरिणय लेने में सहायक होगी।
- **वनथियामक नरिीक्षण को सुदृढ़ करना:** फार्मास्यूटकथिल्स वभलग (DoP) और मेडकथिल काउंसल जैसे वनथियामक नकथियों के नरिीक्षण तंत्र को बढ़ाना चाहथिे तथा नैतिकथि मानकों के उल्लंघन के लथिे सख्त दंड लगाना चाहथिे। दवा कंपनथियों और स्वास्थ्य सेवा पेशवरों की समय-समय पर ऑडटि नैतिकथि दशिया-नरिदेशों के अनुपालन को सुनश्चथि करती है।
- **चकथितसका शकथिा में नैतिकथि प्रशकथिण को बढ़ावा देना:** नैतिकथिता, चकथितसकीय शकथिा का अभनन अंग होनी चाहथिे, जसमें नषिपकष नैदानकथि नरिणय लेने के महत्त्व पर ज़ोर दथिा जाना चाहथिे। नरितर व्यावसायकथि वकथिास कार्यक्रमों में हथिों के टकराव से नपिटने और नैतिकथि प्रथाओं का पालन करने का प्रशकथिण शामिल होना चाहथिे।
- **सीएमई कार्यक्रमों के लथिे स्वतंत्र वतथितपोषण को बढ़ावा देना:** सतत चकथितसका शकथिा (CME) पहलों को दवा कंपनथियों के बजाय तटस्थ संगठनों द्वारा स्वतंत्र रूप से वतथित पोषति कथिा जाना चाहथिे। इससे संभावति पूरवाग्रहों को खत्म कथिा जा सकेगा और यह सुनश्चथि कथिा जा सकेगा कथि शैकषकथि सामग्री वपिणन के बजाय चकथितसका प्रगति पर केंद्रति रहे।
- **लोगों और मरीजों की वकालत को प्रोत्साहति करना:** अनैतिकथि प्रथाओं पर सवाल उठाने के लथिे मरीजों और समर्थक समूहों को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जागरूकता अभथियानों के माध्यम से लोगों को नैतिकथि मानकों और उनके अधिकारों के बारे में शकथिथिकथिा जाना चाहथिे, जससे वे चकथितसका देखभाल में बेहतर पारदर्शथिता तथा ईमानदारी की मांग कर सकें।

नषिकरष

एबवी इंडथिया का मामला आधुनकथि स्वास्थ्य सेवा में सामने आने वाली नैतिकथि चुनौतथियों की एक गंभीर याद दलथिता है, जहाँ कॉर्पोरेट हथि अक्सर पेशवर ज़मिमेदारथियों से जुड़ जाते हैं। सार्वजनकथि वशिवस बनाए रखने, रोगी कल्याण की रक्षा करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणालथियों की अखंडता सुनश्चथि करने के लथिे चकथितसकीय नैतिकथिता को बनाए रखना आवशयक है। इन चुनौतथियों का समाधान करने के लथिे प्रभावी वनथियमन, पूरण पारदर्शथिता तथा नैतिकथि प्रशकथिण सहति एक बहुआयामी दृषटकथिण आवशयक है। कॉर्पोरेट प्रथाओं को नैतिकथि सदिधांतों के साथ जोड़कर, स्वास्थ्य सेवा कषेत्र नवाचार एवं जवाबदेही के बीच संतुलन बना सकता है। अंततः, रोगी-केंद्रति मूल्यों को प्राथमकथिता देना, एक भरोसेमंद और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा पारस्थितिकथिी तंत्र के नरिमाण की कुंजी है।